कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.
सत्यमेव जयते

मुख्यालय/HEADQUARTER
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 110002
Phone: 011-23215489, VOIP: 10011074
Email: med6-hq@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

फ़ाइल संख्या ई-13/12/12/2021-पीआर

दिनांक : 10/09/2021

प्रेस विज्ञप्ति

श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.09.2021 को प्रस्तावित 300 बिस्तरों (50 सुपर स्पेशिलिटी बिस्तर सहित) ई.एस.आई.सी. अस्पताल, हरिद्वार, उत्तराखंड की साइट का निरीक्षण

श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार ने 10 सितंबर, 2021 को प्रस्तावित ई.एस.आई.सी अस्पताल, हरिद्वार, उत्तराखंड की साइट का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री **श्री पुष्कर सिंह धामी** थे ।

श्री रामेश्वर तेली, माननीय श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री, भारत सरकार, **डॉ. हरक सिंह रावत**, श्रम एवं रोजगार मंत्री, उत्तराखंड सरकार, **श्री धन सिंह रावत,** स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार, **स्वामी यतीश्वरानंद**, भाषा, पुनर्गठन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा ग्रामीण विकास मंत्री, उत्तराखंड सरकार, **श्री नरेश बंसल**, सांसद, राज्य सभा, **श्री अपूर्व चंद्रा**, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, **सुश्री अनुराधा प्रसाद**, विशेष सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और महानिदेशक, ईएसआईसी, **सुश्री अनीता शर्मा**, मेयर, हरिद्वार, **श्री मदन कौशिक**, विधायक, **श्री आदेश चैहान**, विधायक**, श्री सुरेश राठौर**, विधायक, **श्री राजीव शर्मा**, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर आदि इस अवसर पर उपस्थित रहे ।

ई.एस.आई.सी. अस्पताल, हरिद्वार की साइट के दौरे के पूर्व श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय मंत्री ने ऋषिकेश में ई.एस.आई.सी. की 185 वीं बैठक की अध्यक्षता की एवं सामाजिक सुरक्षा कोड के लागू होने के बाद असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बेहतर चिकित्सा लाभ के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत चर्चा की ।

साइट निरीक्षण के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा की प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से पूरा करना हमारी प्राथमिकता है एवं जल्द से जल्द इस अस्पताल का निर्माण कर सेवाओं के लिए

खोल दिया जाएगा। अपने अभिभाषण में कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को उन्होने रेखांकित किया। इसी क्रम में मंत्री जी ने ESIC कोविड -19 रिलीफ़ योजना के बारे में बताया जिसके तहत बीमित कामगार की कोविड -19 से मृत्यु होने पर उनके परिवारजनों को वेतन का 90% की दर से मासिक पेंशन दी जाती है।

कोटद्वार एवं खटीमा में नए ई.एस.आई. सी. अस्पताल खोलने के राज्य सरकार के आग्रह पर उन्होंने यथा शीघ्र करवाई कर निर्णय लेने की बात कही। देहरादून व काशीपुर में स्वीकृत किये गए ई.एस.आई. अस्पतालों के लिए शीघ्र जमीन के आवंटन के लिए उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया। उत्तराखंड में रोजगार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर उन्होंने नियमित रोजगार मेला आयोजन करने पर बल दिया।

श्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड ने अपने सम्बोधन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कामगारों, वंचित वर्ग के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा राज्य सरकार द्वारा केंद्र के प्रोजेक्ट्स को हर प्रकार के सहयोग उपलब्ध कराने की बात कही । साथ हीं केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जा रहे COVID-19 वैक्सीन व अन्य मदद के लिए भी आभार जताया।

श्री रामेश्वर तेली, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, भारत सरकार ने संसद द्वारा पारित श्रम कोड के विषय में बताते हुए कहा की चारों श्रम कोडों के पारित होने से अब असंगठित क्षेत्र के कामगार, गिग वर्कर्स, आदि को भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी । साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिज़नस भी होगा जिस से नए रोजगार की संभावनाएं बनेंगी।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री व अन्य गणमान्य अतिथियों ने ESIC कोविड -19 रिलीफ़ योजना के लाभार्थियों को मासिक राहत राशि के भुगतान के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किया।

ई.एस.आई.सी. अस्पताल, हरिद्वार

5 एकड़ भूमि में विस्तृत निर्माणाधीन 300 बिस्तरों (50 सुपर स्पेशिलिटी बिस्तर सहित) वाला ई.एस.आई.सी. अस्पताल, '2बी+जी+6' की संरचना पर आधारित होगा। इसमें छः ऑपरेशन थिएटर, कैजुअल्टी वार्ड, स्कैनिंग की सुविधा, ईसीजी के साथ-साथ आईसीयू की सुविधा भी होगी। 50 विस्तरों के सुपर स्पेशलिटी विंग में कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, यूरोलॉजी, कीमोथेरेपी, डायलिसिस आदि की सुविधा उपलब्ध होगी । इसके

निर्माण के बाद बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को इस अस्पताल में कैशलेस इलाज मिलेगा। डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए बहु-स्तरीय पार्किंग के साथ-साथ आवास की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध होगी।

<u>उत्तराखंड में ई.एस.आई. योजना</u>

रुड़की में ई.एस.आई. योजना पहली बार 1962 में लागू की गई थी और उत्तराखंड राज्य गठन के समय यह योजना छः केंद्रों यथा देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, लालकुआं, काशीपुर और हरिद्वार में लागू थी। जिसके बाद इस योजना का विस्तार किया गया और बारह (12) नए केंद्रों में योजना लागू की गई। जिसमें मसूरी, सेलाकी, तपोवन-टिहरी गढ़वाल, भगवानपुर, कोटद्वार, काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, किच्छा और नैनीताल के नगर क्षेत्र इत्यादि शामिल है। ई.एस.आई.सी. सुधारों के अंतर्गत, ई.एस.आई योजना को पूरे उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में लागू किया गया था। वर्तमान में इस योजना से लगभग 6.5 लाख बीमित व्यक्ति लाभान्वित हैं। नकद हितलाभ 07 शाखा कार्यालयों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। 30 राज्य संचालित औषधालयों और 38 टाई-अप अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिक एवं द्वितीय देखभाल संबंधी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ई.एस.आइ.सी. द्वारा किए गए 14 टाई-अप अस्पतालों और 02 डायग्नोस्टिक केंद्रों के माध्यम से एसएसटी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। भविष्य में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर के शेष 07 गैर-कार्यान्वित जिलों में ईएसआई योजना को कार्यान्वयन करने की योजना है।

<u>भारत में ई.एस.आई. योजना</u>

कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। यह चिकित्सा देखभाल संबंधी सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ आकस्मिकताओं जैसे बेरोज़गारी, बीमारी, मृत्यु इत्यादि के समय नकद हितलाभ भी प्रदान करता है । यह अधिनियम अब 12.36 लाख से अधिक कारखानों पर लागू है तथा देश भर में लगभग 3.41 करोड़ पारिवारिक इकाइयों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। 1952 में अपनी स्थापना के बाद से, ई.एस.आई.सी. ने अब तक 160 अस्पताल, 6 मेडिकल कॉलेज, 2 डेंटल कॉलेज, 2 नर्सिंग कॉलेज, 1502/308 डिस्पेंसरी/ आईएसएम यूनिट, 559/185 शाखा/वेतन कार्यालय, 49 डिस्पेंसरी सह शाखा कार्यालय और 64 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

*****